राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान
(जी.3, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स.0141–2222403, ईमेल– stp.lsg@rajasthan.gov.in वेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 DLB/STP/ CMJKSY/(116)/17/1673 दिनांक : 17-05-2017

आदेश

विषयः– मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के संबंध में ।

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आयोजित किये जा रहे शिविरों में आ रही समस्याओं एवं नगरीय निकायों से प्राप्त हो रहे मार्गदर्शन एवं आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हेतु निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते हैं।

1.0 **स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टे के संबंध मेंः–**

1.1 स्टेट ग्रान्ट एक्ट का पट्टा राज्य सरकार के Rajasthan Government Grant Act, 1961 के तहत् दिये जाते है, तथा यह पट्टे नगर पालिका सीमा में स्थित नजूल (आबादी) भूमि पर 40 वर्ष अथवा अधिक पूराने कच्चे अथवा पक्के मकानों हेतु अधिकतम 300 वर्गमीटर भूमि का पट्टा दिये जाने का प्रावधान हैं। उक्त पट्टे कृषि भूमि एवं अन्य राजकीय भूमि पर नहीं दिये जाते हैं। अतः राज्य सरकार का आदेश क्रमांक प.2(30)नविवि/3/2016 दिनांक 11.05.2017 में बिन्दु संख्या–2 के परिपेक्ष में लागू नही होता हैं।

1.2 जो कच्ची बस्ती डी–नोटीफाई हो चुकी है, उनमें स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् पट्टे नही दिये जावेगे। क्योंकि स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् पट्टा केवल नजूल (आबादी) भूमि पर ही दिया जा सकता हैं।

1.3 स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् दिये जाने वाले पट्टो से संबंधित भूमि/भवन नगर के पुरानी आबादी क्षेत्र/चार दीवारी क्षेत्र/घनी आबादी क्षेत्र में स्थित है, तथा इन क्षेत्रों में परम्परागत रूप से जीरो सेटबेक पर निर्माण स्थित है तथा भवन विनियमों में भी ऐसे क्षेत्रों हेतु मौजूदा भवन रेखा रखते हुये तथा मौके पर उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुरूप ही स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान हैं। अतः स्टेट ग्रान्ट एक्ट के पट्टो में सैटबेक एवं सड़क की चौड़ाई का मानदण्ड नही हैं एवं स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत् मौके पर स्थित निर्माण एवं सडक की चौडाई के अनुरूप ही पट्टा दिया जावेगा।

तथापि पट्टे में निम्नानुसार शर्त अंकित की जावेगीः–

"यह पट्टा स्टेट ग्रान्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत् मौके पर स्थित भूखण्ड/निर्मित भवन व उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अनुरूप दिया गया है, तथा मौके पर यदि कोई अनाधिकृत निर्माण है, तो यह पट्टा ऐसे निर्माण का नियमितिकरण नही माना जावेगा"

2.0 **ले–आउट प्लान के संबंध मेंः–**

वर्तमान में ले–आउट प्लान का अनुमोदन नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय की तकनीकी अभिशंषा के पश्चात् ले–आउट प्लान कमेटी में किया जाता हैं। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण ले–आउट प्लान का अनुमोदन नगरीय निकाय स्तर पर गठित ले–आउट प्लान कमेटी में अथवा एम्पावर्ड कमेटी में ही किया जावेगा, तथा क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक के प्रतिनिधि को इस बैठक में रहेगे, ताकि ले–आउट प्लान का अनुमोदन स्थानीय स्तर पर ही नगर नियोजक की राय के अनुरूप हो सके।

3.0 **उपविभाजन/पुर्नगठन की स्वीकृति के संबंध मेंः–**

वर्तमान में भूखण्डों के उपविभाजन/पुर्नगठन हेतु 1500 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल भूमि होने पर प्रकरण राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण ऐसे प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में किया जाना

संभव नही होने के कारण उपविभाजन/पुर्नगठन के 3000 वर्ग मी. क्षेत्रफल तक के भूखण्डों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी के स्तर पर ही किये जा सकेगे ताकि उपविभाजन/पुर्नगठन संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविरों की अवधि में ही किया जा सके।

4.0 **भवन निर्माण स्वीकृति/नियमन के संबंध में:–**

वर्तमान में कई नगरीय निकायों द्वारा भवन निर्माण स्वीकृति/नियमन संबंधी प्रकरण निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग को मार्गदर्शन अथवा राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाते हैं, साथ ही भवन मानचित्र समिति की बैठक समय पर नही हो पा रही है एवं इस प्रक्रिया में समय लगने के कारण भवन निर्माण स्वीकृति से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना शिविर में नही हो पा रहा हैं। अतः मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना अवधि में भवन निर्माण स्वीकृति/नियमन की कार्यवाही, भवन विनियमों में देय मानदण्डों के अनुरूप, स्थानीय स्तर पर गठित एम्पावर्ड कमेटी द्वारा ही की जा सकेगी। ताकि भवन निर्माण स्वीकृति से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का योजना अवधि में निस्तारण संभव हो सकें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/ CMJKSY/(116)/17/ 1674-83 दिनांक : 17-05-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
7. क्षैत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षैत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/पालिका (समस्त)।
9. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
10. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

17/05/2017
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक